**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-2191**

**जिसका उत्तर 04 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।**

**संकटग्रस्त विद्युत संयंत्र**

**2191. श्री कानुमुरू रघु राम कृष्णराजूः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में संकटग्रस्त विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा और उन्हें बचाने का विचार है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने संकटग्रस्त संयंत्रों के प्रशुल्क को कम नहीं करने के लिए विनियामकों को निर्देश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री**

**(श्री आर. के. सिंह)**

**(क) :** विद्युत क्षेत्र में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम **अनुबंध** में सूचीबद्ध दिए गए हैं।

**(ख) :** जी नहीं।

**(ग) :** प्रश्न नहीं उठता।

********

**अनुबंध**

**लोक सभा में दिनांक 04.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2191 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।**

**********

भारत सरकार ने संकटग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं के मामलों का समाधान करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एचएलईसी) गठित की थी। एचएलईसी की रिपोर्ट 12.11.2018 को प्रस्तुत की गई थी और इसे विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में भी रखा गया था।

उसके बाद सरकार ने एचएलईसी की विशिष्ट सिफारिशों की जांच करने के लिए मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन किया था। मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने संकटग्रस्त विद्युत परियोजनाओं के बारे में सिफारिशें की थीं। सरकार द्वारा यथाअनुमोदित जीओएम की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :

(i) अल्पकालिक विद्युत क्रय करार (पीपीए) के लिए कोल लिंकेज की अनुमति।
(ii) डिस्कॉमों द्वारा भुगतान में चूक होने के कारण पीपीए समाप्त होने की स्थिति में उपयोग किए जाने वाले अनुमत्य मौजूदा कोयला लिंकेज।
(iii) पूर्व घोषित लिंकेजों के विरूद्ध नोडल एजेंसी द्वारा थोक विद्युत की खरीद।
(iv) केंद्र/राज्य जेनको विद्युत के समूहक के रूप में कार्य करें।
(v) विद्युत क्षेत्र के लिए विशेष फॉरवर्ड ई-नीलामी के लिए कोयले की मात्रा में वृद्धि।
(vi) कोल लिंकेज नीलामी नियमित अंतराल पर आयोजित की जाए।
(vii) कोयले की कम आपूर्तियों की नान-लैप्सिंग।
(viii) वार्षिक संविदागत मात्रा (एसीक्यू) दक्षता आधार पर निर्धारित की जाए।
(ix) विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएस) के भुगतान को अनिवार्य बनाया गया है।
(x) विद्युत क्रय करार (पीपीए)/ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए)/दीर्घकालिक खुली पहुंच (एलटीओए), पोस्ट नेशनल कंपनी लॉ ट्रीब्यूनल (एनसीएलटी) परिदृश्य को रद्द न करना।
(xi) वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) का पालन न करने पर पीपीए रद्द न करना।

**********